

शिक्षा विभाग आवश्यक सूचना

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि "अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" एवं "अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना", "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" एवं "पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" के अन्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 हेतु PMS पोर्टल (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए <https://scstpmsonline.bihar.gov.in>, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए <https://pmsonline.bihar.gov.in> एवं संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के लिए <https://instpmsonline.bihar.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने के लिए **दिनांक-15.07.2026** से पोर्टल खोला जाना निर्धारित है।

अतः सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वर्णित योजना अन्तर्गत आवेदन हेतु सभी प्रकार के दस्तावेज यथा- आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, बोनाफाईड प्रमाण-पत्र आदि तैयार कर लें।

ऑनलाईन आवेदन करने से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश PMS पोर्टल पर उपलब्ध है।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा),
बिहार, पटना

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No. 006897 (Education) 2026-27

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।